कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

62 वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी (छात्र—छात्रा) प्रतियोगिता सत्र 2017—18 के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचाग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जा रहा है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचाग एवं निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित करें । विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु खेल समूह बनाये गये हैं जो निम्न प्रकार है:—

प्रथम समूह			द्वितीय समूह		
कब्बडी	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	हॉकी	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
खो—खो	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	हैण्डवॉल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
बेन्डमिटन	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	फुटबाल	14 वर्ष	छात्र
साफ्टबॉल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	जिम्नास्टिक	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
कुश्ती	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	तैराकी	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
बॉलीवॉल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	बास्केटबाल	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
टेबल टेनिस	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	लॉन टेनिस	14 वर्ष	छात्र—छात्रा
जूडों	14 वर्ष	छात्र—छात्रा	क्रिकेट	14 वर्ष	छात्र

तृतीय समूह

ऐथलेटिक्स	14 वर्ष	छात्र—छात्रा

प्रतियोगिताऐं निम्न तिथियों के अनुसार आयोजित की जावेगी :—

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	17 अगस्त से पूर्व	01.09.17 से 05.09.17 (अधिकतम 04 दिन)	17.09.17 से 22.09.17
द्वितीय समूह	17 अगस्त से पूर्व	05.09.17 से 09.09.17 (अधिकतम 04 दिन)	24.09.17 से 29.09.17
तृतीय समूह	17 अगस्त से पूर्व	04.10.17 से 08.10.17 (अधिकतम 04 दिन)	30.10.17 से 04.11.17

प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताऐं दिनांक 25.09.2017 से 27.09.2017 तक केवल जिला स्तर पर मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित की जावेगी। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृतियां कार्यक्रम विद्यालय/क्षेत्रिय/जिला स्तर तक का आयोजन विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका, 2009—10 के अनुसार जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवायें ।

नोट:— जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से पूर्व खण्डीय प्रतियोगिताऐं आवश्यकतानुसार आयोजित करवायी जावे। ये प्रतियोगिताएं दिनांक 19.09.2017 से 22.09.2017 तक आयोजित करें।

सत्र 2017—18 की राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक (14 वर्ष आयुवर्ग) विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजक विद्यालयों के नाम एवं स्थान परिशिष्ठ—1 पर संलग्न है । सत्र 2017—18 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु प्रारंभिक शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताए नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009—10 में निर्दिष्ट नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी। फिर भी निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:—

01 समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथियों में ही जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें । राज्य स्तरीय प्रतियोगित निर्धारित स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी , तिथियों एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

02 प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्रॉज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2016—17 की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के परिणाम परिशिष्ठ—2 पर संलग्न किये जा रहे है ।

03 सत्र 2017–18 की छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभिक शिक्षा विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 में दर्शाये गये नियमों, निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे ।

04 विशेष विद्यालय जैसे सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यालय, खेल छात्रावास के विद्यालय, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेल छात्रावास एवं उनके द्वारा अधिग्रहित विद्यालय संबंधित जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग न लेकर सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगें । उक्त विशिष्ठ विधालयों का दल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि जो खिलाड़ी जिस खेल में इन विधालयों में प्रवेश लेता है वह अपने संबंधित खेल में ही भाग लेवें । इन विधालयों के अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ी अपरिहार्य कारणें से प्रतियोगिता में भाग न ले सके तो चयन समिति की अभिशंषा पर निर्धारित संख्या के अलावा इनका नाम पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु चयनित किया जाता है तो निर्धारित संख्या में सम्मिलित होगें। विशिष्ट विधालयों के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगित्ता स्थल पर अपने प्रशिक्षक एवं प्रधानाचार्य की अभिशंषा पर चयन परीक्षण हेतु उपस्थित होगें।

05 निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता में अगर सी0बी0एस0सी0 से मान्यता प्राप्त विद्यालय भाग लेते हैं तो उन्हें निर्धारित प्रतियोगिता शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा। उक्त विधालयों के खिलाड़ी/ छात्र–छात्रा के चयन पूर्व राज्य/राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं चयन परीक्षण के लिये होता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा अन्यथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी वर्ष की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

06 उप शासन सचिव, षिक्षा (ग्रुप–6)विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प0 15(1)शिक्षा–6/99 जयपुर दिनांक 27–9–99 के अनुसार संस्कृतक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निहित प्रवेशिका एवं उपाध्याय छात्र–छात्रा खिलाड़ियों की प्रतियोगिताऐं पूर्व व्यवस्थानुसार संस्कृत विभाग द्वारा पृथक से आयोजित करवाई जावेगी।

07 टेबल–टेनिस की प्रतियोगिताऐं न्यू स्वेथलिंग कप के आधार पर आयोजित होगी। टेबल–टेनिस एवं बैडमिंटन में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढने का अवसर प्रदान करने हेतु दलीय स्पर्धा के क्वाटर फाईनल में पहुंचने वाले दलों के तीन–तीन खिलाड़ी एवं सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के पांचों खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगें। अन्य दलों से पूर्व की भांति एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा । व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाडियों को सीडिंग दी जावे। ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमीफाईनल पहुंचने वाले दलों का निर्धारण होने के बाद डाली जावें। क्वाटर फाईनल एवं सेमीफाईनल में पहुंचने वाले दलों के खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावे। उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डालते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि सेमीफाईनल पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमीफाईनल से पहले मैच न हो सके।

08 निदेशक महोदय के आदेश कमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/08–11/124 दिनांक 15.06.2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग विद्यालय कीडा प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 के पृष्ठ 24 पर उल्लेखित नियम 10.3.5 में दर्शाये गये खेलों में विजेता दल के अधिकतम संख्या में चयन को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता हैं। सत्र 2014–15 से जिला स्तरीय खेलदल का गठन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु खुली चयन प्रणाली से किया जायेगा। शेष नियम यथावत रहेगें।

ऐथेलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, जूड़ो तथा जिम्नास्टिक व्यक्तिगत स्पर्धा के खेल है। ऐथेलेटिक्स व तैराकी में छात्र–छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय व रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूड़ो के प्रत्येक भार में प्रथम आने वाला व जिम्नास्टिक में कुल अंको के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेगें। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, शिविर संचालक, टीम प्रभारी एवं चयन समिति का होगा। मानदण्ड पूरा न करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मैरिट प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।

09 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के चयनित खिलाड़ियों का विभागीय परिपत्र कमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/2008–10/85 दिनांक 10–5–2010 के अनुसार मेडिकल परीक्षण करवाने के पश्चात मेडिकल प्रमाण–पत्र सहित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम भेजने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा का होगा।

10 जिला स्तरीय चयन पश्चात राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व तीन दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। यह आवासीय प्रशिक्षण शिविर जिले की विजेता टीम के विद्यालयमें लगाया जायेगा । अन्य परिस्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अपने स्तर पर प्रशिाक्षण शिविर का स्थल परिवर्तित कर सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर का वहन यथा यात्रा/दैनिक भत्ता आदि का वहन चयनित खिलाड़ियों के विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर छात्र कोष से वहन किया जावेगा।

11 खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण–पत्रों की संबंधित शारीरिक शिक्षक/अध्यापक व संस्था प्रधान भली भांति जॉच कर प्रवेश रजिस्टर से मिलान करें, यथा छात्र की जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, कक्षा, प्रवेश क्रमांक मिलान करने के पश्चात ही संस्था प्रधान योग्यता प्रमाण–पत्र प्रमाणित करें । विभिन्न स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा भाग लेने/मैरिट प्रमाण–पत्र संस्था द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर तैयार किये जाते हैं । अतः बाद में इन प्रमाण–पत्रों में दरर्शाई गई जन्मतिथि व नाम आदि में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

12 योग्यता प्रमाण–पत्र में विद्यालय का पूर्ण पता अंकित होना अनिवार्य है ताकि पत्र प्रेषण में कठिनाई न हो ।

13 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजक संस्था प्रधान समस्त प्रकार के प्रतियोगिता अभिलेखों की एक प्रति अपने विद्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकतानुसार चाही गई सूचना संस्था विद्यालय अभिलेख से मिलान करके दे सके ।

14 जिलों की टीम के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षकों को निर्णयक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो संबंधित शारीरिक शिक्षक खेल भावना का परिचय देते हुए निर्णायक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।

15 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन पश्चात अपने जिले की समस्त खेलों की प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से निम्न प्रपत्र में भिजवावें :–

16 जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों के संभागित्व

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी खिलाडी संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकोंकी संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

एवं मैरिट प्रमाण–पत्र प्रतियोगिता स्थल पर ही खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किये जावें। जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारंभिक शिक्षा एवं उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा इसकी सुनिश्चितता आवश्य करें। उक्त प्रमाण–पत्र खिलाड़ियों के योग्यता प्रमाण–पत्र की फोटो से मिलान करने के पश्चात प्रतिपर्ण पर खिलाड़ी के हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाडी को ही दिया जावे । मैरिट प्रमाण–पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जावे। व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्द्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैरिट प्रमाण–पत्र दिये जावें। कुश्ती एवं जूड़ो में सेमीफाईनल में रेफरचार्ज पद्धति होने से सेमीफाईनल में हारने (बाउट हारने)वाले प्रतियोगी को तृतीय स्थान का मैरिट प्रमाण–पत्र देय होगा ।

17. सभी स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्रा टीम के साथ महिला शारीरिक शिक्षिका/अध्यापिका को ही भेजा जावे।

18. ऐथेलेटिक्स, जूड़ो, कुश्ती एवं तैराकी में राष्ट्रीय विधालयी खेलों में आयोजित स्पर्द्धाओं के अनुरूप ही जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इनकी स्पर्द्धाऐं करवायी जावे। इस हेतु निर्धारित स्पर्द्धाऐं एवं मानदण्ड इस खेल पंचाग में आगे दर्शाये गये हैं। तद्‌नुसार प्रतियोगिताऐं आयोजित करवाई जावे।

19. सत्र 2010–11 में कब्बड्डी खेल विधा की क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताऐं स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इण्डिया के संशोधित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार आयोजित होगी जो सभी उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/2008–09/ दिनांक 16.07.2010 के द्वारा पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

20. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात निदेशालय भेजा जाने वाला समस्त रिकार्ड कम्प्यूटराइज करवाकर अनिवार्य रूप से 15 दिवंस में वाहक स्तर पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

21. प्रतियोगिता में परिवाद प्रस्तुत होने पर सक्षम जिला/राज्य स्तरीय परीवाद समिति द्वारा यथा समय निर्णय दिया जाये। निदेशालय को प्रतिवाद प्रकरण नहीं भेजें। इसे गम्भीरता से लें।

नोट:

01–राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में ऐथेलेटिक्स/तैराकी/कुश्ती/टेबल–टेनिस/बैडमिंटन एवं जिम्नास्टिक सहित सभी खेलों में चयन समिति नियुक्त की जावे।

02–राज्य स्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में आवश्यकतानुसार निर्णायक निदेशालय द्वारा पूर्व की भांति लगाये जायेगें ।

03–चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो चयन समिति बनाई जावेगी वह प्रतियोगिता स्थल चयनित खिलाडी घोषित न करके पूर्ण रूप से गोपनीयता रखते हुए बन्द लिफाफे में निदेशालय को वाहक के साथ भेजेगें। डाक द्वारा प्रतियोगिता संबंधी रिकार्ड नही भिजवाये इसकी कठोरता से पालना की जावें ।

04–राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु बनाई जाने वाली सूची में चयन समिति की नजर में यदि कोई खिलाडी 14 वर्ष से अधिक का प्रतीत होता हो तो उसका चयन नहीं करें। प्रतिवाद की स्थिति में संयोजक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस खिलाडी की मेडिकल जांच करवाये।

05–क्रिकेट छात्र 14 वर्ष की प्रतियोगिता में नॉक आउट पद्धति द्वारा खेली जावेगी, प्रत्येक मैच 20 ओवर का होगा एवं सेमीफाईनल व फाईनल 25–25 ओवर के होगें । प्रतियोगिता संचालन एम0सी0सी0 के नियमानुसार होगा।

06–प्रायः यह देखने में आया है कि जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान अत्याधिक मात्रा में सामान्य अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की प्रतिनियुक्तियों कर दी जाती है जिससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है अतः आवश्कतानुसार ही प्रतिनियुक्तियों की जावे। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों की सेवाऐं ली जावे ।

07–प्रत्येक विधालय को जिला स्तर पर कम से कम एक खेल में भाग लेना अनिवार्य है । यदि जिले का कोई विद्यालय खेलों में भाग नहीं लेता है तो उस विधालयके शारीरिक शिक्षक/प्रधानाध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।

08–इस कार्यालय द्वारा प्रसारित शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताऐं साहित्यक/सांस्कृतिक प्रवृतियां नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 में उल्लेखित नियम–09 (9.1.1 से 9.1.1.4.2) खिलाडी पात्रता नियम,चेक लिस्ट एवं पात्रता योग्यता प्रमाण–पत्र सत्र 2017–18 होने वाली क्षेत्रिय/जिला/राज्य स्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र–छात्रा खिलाडियों के हितों को ध्यान मे रखते हुए संभागी खिलाडियों के पात्रता नियमो में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है :–

क्र. सं	नियमावली नियम संख्या	नियम पृ0संख्या	संशोधन/परिवर्तन
01	2009–10	19–21	योग्यता पात्रता प्रमाण–पत्र के साथ प्रतियोगी खिलाडियों का राजस्थान के मूल निवासी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी ।
02	2009–10	19–21	राज्य से बहार के खिलाडियों के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु गत 02 वर्ष लगातार राजस्थान की विधालयों में अध्ययनरत रहने की दोनो वर्षो की अंकतालिकाऐं संलग्न करते हुए बाध्यता आवश्यक होगी ।
03	2009–10	19–21	किसी भी कक्षा मे दो वर्ष से अनुर्तीण/ठहराव वाले छात्र–छात्रा किसी भी विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नही होगे ।
04	2009–10	19–21	केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत/निजी संस्थानों में कार्यरत एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों के विधार्थियों से संबधित विभाग/सस्था/राजपत्रित अधिकारी से राजस्थान में कार्यरत रहने का प्रमाण–पत्र एवं आवस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

09– उपरोक्तानुसार समस्त संशोधन तथा शेष नियम निर्देश यथावत के साथ राज्यस्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्ष छात्र–छात्रा सत्र 2017–2018 के आयोजक विधालयो के नाम व स्थान निम्नानुसार है :–

प्रथम समूह :–17.09.17 से 22.09.17

क्रसं.	खेल का नाम	छात्र–छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	कब्बड्डी	छात्र–छात्रा	राउप्रावि पुलिस लाईन,जैसलमेर
2.	खो–खो	छात्र–छात्रा	राउप्रावि,भीतरवाडी बयाना भरतपुर
3.	बैडमिंटन	छात्र–छात्रा	राउप्रावि आमापुरा,प0सं0 आमापुरा,जिला बॉरा
4.	सॉफ्टबॉल	छात्र–छात्रा	सिद्वार्थ ग्लोबल एकेडमी आसीन्द भीलवाडा
5.	कुश्ती	छात्र	राउप्रावि न.2 श्रीमाधोपुर,सीकर
6.	वॉलीबाल	छात्र–छात्रा	राउप्रावि मंगलपुरा,प.स.कुरज रेलमगरा,राजसमंद
7.	टेबल टेनिस	छात्र–छात्रा	राउप्रावि न.2 हनुमानगढ
8.	जूडो	छात्र–छात्रा	राउप्रावि न.2 श्रीमाधोपुर,सीकर

द्वितीय समूह :–24.09.17 से 29.09.17

क्रसं.	खेल का नाम	छात्र–छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	हॉकी	छात्र–छात्रा	राउप्रावि शेषमा का बास कुचामनसिटी नागौर
2.	हैण्डबॉल	छात्र–छात्रा	राउप्रावि माताजी का थॉवला तह0 देवली टोंक
3.	फुटबॉल	छात्र	राउप्रावि,रजतगृह कॉलोनी गेट नं0 03 बुन्दी
4	जिनमास्टिक	छात्र–छात्रा	श्रीरामसा पीर उप्रावि,रामदेवरा(जैसलमेर)
5.	तैराकी	छात्र–छात्रा	राउप्रावि,क्यामखॉनी मस्जिद बीकानेर
6.	बास्केटबॉल	छात्र–छात्रा	राउप्रावि गाडीया लौहार प्रतापनगर,चौराहा चित्तौडगढ
7.	लॉन–टेनिस	छात्र–छात्रा	राउप्रावि 05,06,07,से0(13)मालवीयनगर जयपुर
8.	किकेट	छात्र	राउप्रावि,आमापुरा,पं0सं0आमापुरा बॉरा

तृतीय समूह :– 30.10.17 से 04.11.17

कसं.	खेल का नाम	छात्र–छात्रा	आयोजक विद्यालय का नाम
1.	ऐथेलेटिक्स	छात्र–छात्रा	राउप्रावि मीणापाडी अलवर

तैराकी के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड(एसजीएफआई द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होगें)

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड(छात्र)	मानदण्ड(छात्रा)
1	फ्री स्टाईल 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
2.	बटर फलाई 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
3.	बेस्ट स्ट्रॉक 50 मीटर	0.50 मिनट	0.55 मिनट
4.	बैक स्ट्रोक 50 मीटर	0.45 मिनट	0.50 मिनट
5.	फ्री स्टाईल 100 मीटर	1.45 मिनट	2.35 मिनट
6.	फ्री स्टाईल 200 मीटर	3.30 मिनट	5.30 मिनट
7.	व्यक्तिगत मैडले 200 मीटर	3.50 मिनट	6.45 मिनट
8.	बैक स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.10 मिनट
9.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 100 मीटर	2.00 मिनट	2.30 मिनट
10.	बैक स्ट्रॉक 200 मीटर	4.00 मिनट	6.30 मिनट
11.	ब्रेस्ट स्ट्रॉक 200 मीटर	4.50 मिनट	6.40 मिनट
12.	बटर फ्लाई 100 मीटर	1.50 मिनट	2.10 मिनट
13.	फ्री स्टाईल 4गुणा 100 मीटर	9.45 मिनट	12.00 मिनट
14.	मेडले रिले 4गुणा 100 मीटर	10.00 मिनट	12.00 मिनट

(एथेलेटिक्स के निर्धारित इवेन्ट एवं मानदण्ड (एसजीएफआई द्वारा समय–समय पर जारी नवीनतम मापदण्ड मान्य होगें)

क्र. सं.	नाम इवेन्ट्स	मानदण्ड (छात्र)	मानदण्ड (छात्रा)
1.	100 मीटर दौड़	13.50 सैकण्ड	15.00 सैकेण्ड
2.	200 मीटर दौड़	29.00 सैकण्ड	34.00 सैकेण्ड
3.	400 मीटर दौड़	1.00 मिनट	1.15 मिनट
4.	600 मीटर दौड़	1.40 मिनट	1.55 मिनट
5.	80 मीटर बाधा दौड़	15 .00 सैकेण्ड	17.00 सैकेण्ड
6.	ऊँची कूद	1.40 मीटर	1.15 मीटर
7.	लम्बी कूद	5.00 मीटर	4.00 मीटर
8.	गोला फैंक(4 किलो)	10.00 मीटर	7.00 मीटर
9.	तश्तरी फैंक(1 किलो)	28.00 मीटर	17.00 मीटर
10.	रिले दौड़ (4गुणा 100मीटर)	54.00 सैकेण्ड	1.50 सैकेण्ड

(कुश्ती (छात्र) एवं जूड़ो (छात्र–छात्रा) 14 वर्ष आयुवर्ग हेतु निर्धारित वजन)

कुश्ती	जूड़ो	
छात्र	छात्र	छात्रा
32 किलो	25 किलो	23 किलो
35 किलो	30 किलो	27 किलो
38 किलो	35 किलो	32 किलो
41 किलो	40 किलो	36 किलो
45 किलो	45 किलो	40 किलो
49 किलो	50 किलो	44 किलो
55 किलो	50 किलो	44 किलो
60 किलो	–	–
कुल वजन–8	कुल वजन–7	कुल वजन–7
विजेता पहलवान वजन वार	वजन वार एक विजेता	वजन वार एक विजेता

सभी खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें रेल्वे कन्सेशन का लाभ लेते हुए जहाँ रेल्वे की आने–जाने की सुविधाऐं हैं उसी से ही यात्रा करें, जहाँ पर रेल की सुविधा नहीं है उसी स्थान के लिए बस की रियायती दर से यात्रा करें । विभाग द्वारा जहाँ रेल सुविधाऐं है उसी अनुरूप कन्सेक्शन दर से किराया देय होगा ।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा इन आदेशों को अपने अधीनस्थ विधालयों में शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित करें। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का स्थान निर्धारित अपने जिले का खेल पंचाग शीघ्र जारी कर अधीनस्थ विधालयों में प्रसारित कर इस कार्यालय को प्रति भिजवावें।

आशान्वित हूँ कि जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वाशि/7509/पंचाग/2017-18/129-136 दिनांक: 17.07.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
5. सचिव, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्कृत शिक्षा विधालयों की प्रतियोगिता पृथक से पूर्व व्यवस्थानुसार करवाई जावे ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को 11 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि राज्य स्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम को उपयुक्त प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें ।
8. समस्त उप निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा ।
10. प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविधालय, जोधपुर ।
11. प्रधानाचार्य,सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर ।
12. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (निजी अनुभाग),बीकानेर ।
13. सहायक निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जोधपुर/अलवर ।
14. समस्त केन्द्राधिक्षक एवं संस्था प्रधान सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र ।
15. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को शिविरा के आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ ।
16. समस्त संयोजक सचिव/संस्था प्रधान, आयोजक राज्य स्तरीय विधालयी प्रतियोगिता ।
17. समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शाशि) सम्बन्ध कार्यालय उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।
18. समस्त संस्था प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये विद्यालय।
19. संस्था प्रधान खेल छात्रावास वाकेशनल मावि, कोटा/नूतन सीमावि, बांसवाडा।
20. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी(शा0शि)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

परिशिष्ठ–2

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्र सत्र् 2016–2017

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्टम	सप्तम	अष्टम
1.	कब्बड्डी	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर	भीलवाडा	बाडमेर	पाली	जोधपुर	प्रतापगढ	अलवर
2.	हॉकी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर	अजमेर	जोधपुर	सा.स्पोर्ट बीकानेर	उदयपुर	नागौर
3.	हैण्डबॉल	श्रीगंगानगर	सीकर	जोधपुर	चित्तौडगढ	भीलवाडा	बाडमेर	कोटा	झुन्झुनु
4.	फुटबॉल	हनुमानगढ	अलवर	उदयपुर	अजमेर	कोटा	श्रीगंगानगर	जालोर	जयपुर
5.	टेबलटेनिस	कोटा	जोधपुर	झुन्झुनु	अलवर	जयपुर	अजमेर	उयपुर	चित्तोडगढ
6.	वॉलीबॉल	झुन्झुनु	चूरू	अजमेर	भिलवाडा	सा.स्पोर्ट बीकानेर	जयपुर	श्रीगंगानगर	कोटा
7.	खो–खो	अजमेर	झुन्झुनू	भिलवाडा	जोधपुर	अलवर	श्रीगंगानगर	सीकर	टोंक
8.	बैडमिंटन दलीय	कोटा	अजमेर	जोधपुर	बीकानेर	हनुमानगढ	राजसमंद	उदयपुर	अलवर
9.	बैडमिंटन एकल	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	क्रिकेट	जोधपुर	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर	भिलवाडा	सिरोही	अजमेर	जालोर	बाडमेर
11.	बास्केटबॉल	जैसलमेर	सा.स्पोर्ट बीकानेर	सीकर	जयपुर	कोटा	हनुमानगढ	भीलवाडा	जैसलमेर
12.	जिम्नास्टिक	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	सॉफ्टबॉल								
14.	टेनिस	जोधपुर	जयपुर	अजमेर	कोटा	उदयपुर	बीकानेर	झुन्झुनु	अलवर

परिशिष्ठ–2

प्रथम आठ स्थानों की सूची छात्रा सत्र् 2016–2017

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्टम	सप्तम	अष्टम
1.	कब्बड्डी	सीकर	हनुमानगढ	बाडमेर	उदयपुर	जोधपुर	जयपुर	पाली	जालोर
2.	हॉकी	श्रीगंगानगर	अलवर	सीकर	भीलवाडा	नागौर	जोधपुर	अजमेर	हनुमानगढ
3.	हैण्डबॉल	सवाईमाधोपुर	हनुमानगढ	नागौर	बाडमेर	पाली	भीलवाडा	चित्तोडगढ	झुन्झुनु
4.	टेबलटेनिस दलीय	कोटा	सीकर	टोंक	अलवर	जोधपुर	जयपुर	चित्तोडगढ	झुन्झुनु
5.	वॉलीबॉल	श्रीगंगानगर	नागौर	चुरू	चित्तोडगढ	भीलवाडा	सीकर	हनुमानगढ	झुन्झुनु
6.	खो–खो	भीलवाडा	अजमेर	हनुमानगढ	बाडमेर	बीकानेर	जालोर	उदयपुर	जोधपुर
7	बैडमिंटन दलीय	जोधपुर	चित्तोडगढ	जयपुर	—	अजमेर	उदयपुर	कोटा	—
8	बैडमिंटन एकल	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	बास्केटबॉल	जयपुर	भीलवाडा	सीकर	अजमेर	बीकानेर	हनुमानगढ	श्रीगंगानगर	उदयपुर
10.	जिम्नास्टिक	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	सॉफ्टबॉल								
12.	टेनिस	जयपुर	बीकानेर	जोधपुर	कोटा	अजमेर	उदयपुर	टोंक	हनुमानगढ

जिला शिक्षा अधिकारी(शा0शि0)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर